

प.क. २ PBR /
पेशी तारीख :- 29/01/2014

माननीय अध्यक्ष / सदस्य महोदय,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प इन्दौर

निगरानी अर्ज धारा 50 भू राजस्व संहिता अनुसार
भोगीलाल पिता प्रेमचंद जाति जैन आयु 90 वर्ष निवासी
शाहबाजार बुरहानपुर जिला बुरहानपुर म.प्र.

--- प्रार्थी

R-383-PBR/14

श्री अजयश्री कालाव
अभिमान का उद्वेग
इन्दौर का उद्वेग

श्री
श्री

विरुद्ध

1. हेमेन्द्र पिता बाबुलाल जैन
 2. कमलेश पिता बाबुलाल जैन
 3. पियुष पिता बाबुलाल जैन
 4. अतुलकुमार पिता बाबुलाल जैन
 5. भानुमतिबाई पति बाबुलाल जैन
- सभी निवासीयान शाहबाजार बुरहानपुर
जिला बुरहानपुर म. प्र.

--- विपक्षीगण


महोदय,

आवेदक याचिकाकर्ता अपना यह सदर निगरानी अर्ज श्रीमान अपर
आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग के समक्ष की राजस्व द्वितीय अपील
क्रमांक 44/13-14 में के निर्णय दिनांक 22. 10. 2013 जो कि
अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर के समक्ष के राजस्व प्रथम अपील क्रं.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 383-पीबीआर/14 [अजील्लु हेमेट्टु] जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-3-2016	<p>इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19-1-2016 को आदेश पारित कर प्रकरण समाप्त किया गया है, परन्तु त्रुटिवश आदेश दिनांक 19-1-2015 टंकित हो गया है, अतः दिनांक 19-1-2015 के स्थान पर दिनांक 19-1-2016 पढ़ा जाये । यह आदेशिका मूल आदेश का अंग होगी । अतः मूल आदेश के साथ संलग्न की जाये ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 383-पीबीआर/14 [मोतीलाल टेम्पेन्ड]

जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-1-2015	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित। उन्होंने आवेदकपक्ष के द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के कारण समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण आवेदकपक्ष के निवेदन पर आगे नहीं चलाये जाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p><i>Om</i></p>	<p><i>(मनोज गोयल)</i> अध्यक्ष</p>